UPSR010004152026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– निर्दोष कुमार(उच्चतर न्यायिक सेवा) , I.D– UP–01659

फौजदारी अपील संख्या–05/2026

किशोर अपचारी जियाउद्दीन पुत्र कलामुद्दीन निवासी संग्रामगंज, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती नाबालिग संरक्षक कलामुद्दीन पुत्र अब्दुल कय्यूम (पिता स्वयं) निवासी संग्रामगंज, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

–––––किशोर/अपीलार्थी।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश –––––––– वादी/प्रत्यर्थीगण।

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत फौजदारी अपील किशोर के पिता कलामुद्दीन द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–601/2025, धारा–137(2),3(5),70(2) बी०एन०एस० व धारा–5(g)/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत अपील में किशोर न्याय बोर्ड श्रावस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांक–20–02–2026 को चुनौती दी गयी है। बोर्ड ने आलोच्य आदेश के माध्यम से किशोर अपचारी की अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–601/2025, धारा–137(2),3(5),70(2) बी०एन०एस० व धारा–5(g)/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत को खारिज कर दिया है।

अपीलार्थी का संक्षिप्त कथन है कि किशोर अपचारी दिनांक–28–12–2025 से बाल सुधार गृह गोण्डा में निरूद्ध है। आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल है क्योंकि जमानत से इन्कार करने के लिए धारा–12 किशोर न्याय अधिनियम की आवश्यकत शर्तें पूर्ण नहीं की थी। जाँच/चार्जशीट पूरी हो चुकी है। किशोर अपचारी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। किशोर अपचारी को संरक्षक के संरक्षण में छोड़ा जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम सुधारात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। किशोर अपचारी लघु आयु सामाजिक परिस्थिति एवं शिक्षा के कारण न्यायालय से सहानुभूति का पात्र है। किशोर अपचारी कथित घटना से बिल्कुल अनभिज्ञ है तथा कथित घटना से बाल अपचारी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा की लड़की

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2026.03.10 15:44:27 IST
Reason: ASJ(Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

अपने घर से बिना बताये कहीं अन्यत्र जगह पर चली गयी थी। बाद में लोगों के बहकावे में आकर बाल अपचारी व सह अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक पर गलत ढंग से मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। किशोर अपचारी के दोबारा किसी अपराध में लिप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है। किशोर अपचारी अपने माता पिता के संरक्षण व निगरानी में रहेगा और किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति व्यक्तियों के सम्पर्क में नहीं रहेगा। सह अभियुक्त की जमानत सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती के न्यायालय से दिनाक–17–01–2026 को मंजूर हो चुकी है। किशोर अपचारी जमानत के आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करेगा तथा गवाहों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। किशोर अपचारी की अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

अपील के साथ कलामुद्दीन ने अपना शपथ पत्र दिया है तथा प्रलेखी साक्ष्य के रूप में अपील के साथ चिक एफ०आई०आर० की छायाप्रति, आलोच्य आदेश की सत्यप्रति आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल की गयी है।

किशोर न्याय बोर्ड से मूल पत्रावली तलब की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल की बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया है कि धारा–12 किशोर न्याय अधिनियम व जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या किशोर के प्रतिकूल नहीं है। अतः किशोर को जमानत मिलनी चाहिए थी। परन्तु विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने सम्भावनाओं को आधार मानकर किशोर की जमानत खारिज कर दी है। धारा–12 किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। जिसके आधार पर किशोर की जमानत खारिज की जाये। पीडिता के बयान धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० में विरोधाभाष है। एफ०आई०आर० विलम्ब से दर्ज करायी गयी है विलम्ब का उचित व पर्याप्त कारण दर्शित नहीं है। न्यायहित में बोर्ड द्वारा पारित आदेश अपास्त करते हुए अपील स्वीकार करते हुए किशोर को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि किशोर ही घटना का मुख्य आरोपी है। किशोर, अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की अवयस्क लडकी को बहला फुसलाकर कर ले गया और उसके साथ दोनों ने मिलकर सामूहिक बलात्संग किया। पीडिता के बयान धारा–183 बी०एन०एस०एस० से घटना साबित है। अपराध की गम्भीरता एवं अपराध से समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने अपचारी की जमानत खारिज की है। बोर्ड के आदेश में किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नहीं है। अतः अपील खारिज की जाये।

मूल पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट हुआ कि वादी मिश्रीलाल यादव

पुत्र नानमुन यादव ने प्रभारी निरीक्षक, थाना–कोतवाली भिनगा को तहरीर दिनांक–28–12–2025 को इस आशय से दी कि दिनांक–27–12–2025 को समय लगभग 6:00 बजे शाम को उसकी लड़की पीडिता उम्र–14 वर्ष उसके ग्राम सभा के विपक्षी जियाउद्दीन पुत्र कलामुद्दीन व दीपू पुत्र भूरे के द्वारा बहला फुसलाकर शादी करने की नियत से कहीं भगा ले गये हैं। अतः एफ०आई०आर० लिखकर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–कोतवाली भिनगा में मुकदमा अपराध संख्या–601/2025 धारा–137(2) बी०एन०एस० अन्तर्गत पंजीकृत हुआ। विवेचक ने मुल्जिम को किशोर मानते हुए किशोर अपचारी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–601/2025, धारा–137(2),3(5),70(2) बी०एन०एस० व धारा–5(g)/6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड श्रावस्ती में प्रेषित किया गया।

किशोर के विषय में जमानत का उपबन्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा–12 में किया गया है। जिसके अनुसार ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक है–

(1)– जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो दृश्यमान रूप से एक बालक है और जिसने अभिकथित जमानतीय या अजमानतीय अपराध किया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरूद्ध किया जाता है या बोर्ड के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है, तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) या तत्सयम प्रवृत्त कियी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड दिया जाएगा या उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगाः

परन्तु ऐसे व्यक्ति को तब इस प्रकार छोडा नहीं जाएगा जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते है कि उस व्यक्ति को छोडे, जाने से यह सम्भाव्य है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या उस व्यक्ति के छोडे जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा, और बोर्ड जमानत देने से इंकार करने के कारणों को और ऐसा विनिश्चय लेने से सम्बन्धित परिस्थतियो को अभिलिखित करेगा।

(2)– जब गिरफ्तार किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपधारा–(1) के अधीन जमानत पर नहीं छोडा जाता है तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संरक्षण गृह में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके।

(3)– जब ऐसा व्यक्ति, बोर्ड द्वारा जमानत पर नहीं छोडा जाता तब वह ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लम्बित रहने के दौरान ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए,

उसे यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा। (4)– जब विधिक का उल्लंघन करने वाला बालक, जमानत के आदेश के सात दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

किशोर के मामले में धारा–12 किशोर न्याय अधिनियम अपराध की गम्भीरता, जमानत न देने का कोई आधार नहीं है जमानत तभी निरस्त हो सकती है जब जमानत पर रिहा होने के पश्चात किशोर का नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक अस्तित्व खतरे में पड़ने की सम्भावना हो, न्याय के अन्त होने की सम्भावना हो, किशोर के आपराधिक संगत में जाने की सम्भावना हो।

उपरोक्त तथ्यों के बावत जिला प्रोवेशन अधिकारी से आख्या मांगने का उपबन्ध है। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपीलार्थी/किशोर की जमानत निस्तारित करते समय जिला प्रोबेशन अधिकारी से आख्या आहूत की गयी है।

पत्रावली में संलग्न जिला प्रोबेशन अधिकारी की सामाजिक अन्वेषण आख्या के अनुसार किशोर अपचारी अविवाहित है और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। किशोर अपचारी द्वारा अपने पिता के कार्यों में सहयोग किया जाता है। परिवार द्वारा बताया गया कि बालक की पढ़ाई में अभिरूचि न होने के कारण कभी विद्यालय नहीं गया है और आस पड़ोस के लोगों ने बालक को सामान्य व्यवहार का बताया है। बालक को उसके गांव के पश्चिम रोड़ पर गिरफ्तार किया गया था और बालक की अपराध में भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्ष एक ही गांव के निवासी है। आस पड़ोस के लोगों ने बालक को सीधा साधा बताया। बालक के गांव दीपू उक्त बालिका को भगा ले गया था तथा बालक दीपू से बात करता था। इसी कारण बालक का नाम उक्त मुकदमें में डाल दिया गया है। बालक वर्तमान समय में बाल सम्प्रेक्षण गृह गोण्डा में निरूद्ध है।

किशोर के सम्बन्ध में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा दी गयी आख्या प्रतिकूल नहीं है न तो जिला प्रोवेशन अधिकारी ने अपनी आख्या में यह आशंका जतायी है कि किशोर के जमानत पर रिहा होने के पश्चात वह ज्ञात अथवा अज्ञात अपराधी की संगत में जायेगा अथवा उसका सामजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अस्तित्व खतरे में पड जायेगा अथवा किशोर को जमानत पर रिहा करने पर न्याय का अन्त होगा। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आलोच्य आदेश में किसी ऐसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है जिससे जमानत देने पर किशोर अपचारी के नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने की आशंका हो अथवा उसके पुनः अपराध करने की सम्भावना हो। मात्र सरसरी तौर पर उपरोक्त आधार अंकित करते हुये जमानत आवेदन खारिज किया गया है। प्रस्तुत मामले में पीडिता एवं अपीलार्थी दोनों अवयस्क हैं।

किशोर न्याय बोर्ड श्रावस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांक–17–02–2026

के माध्यम से **किशोर अपचारी की आयु 12 वर्ष 11 माह 06 दिन निर्धारित** करते हुए किशोर अपचारी घोषित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि किशोर अपचारी पर धारा–15(1) सपठित धारा–18(3) जे०जे० एक्ट के प्रावधान भी आकृषित नहीं होते हैं और उसका विचारण/जाँच जे०जे० बोर्ड में ही संचालित है। जिसमें अधिकतम 03 वर्ष तक सुधार गृह में रखने का प्रावधान है।

पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में अपीलार्थी पर मात्र भगा ले जाने का आक्षेप लगाया है और अपने साथ कोई भी गलत काम न होने का कथन किया है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० में बताया है कि घटना दिनांक–27–12–2025 को शाम को वह 6:00 बजे अपने खेत में घूमने गयी थी। उसके घर वाले उस दिन घर पर ही थी। जब वह खेत पहुँची तो उसके गांव के दीपू व किशोर अपचारी आ गये। किशोर अपचारी ने आकर उसका मुंह साध लिया और उसे पटक दिया। उसके साथ दोनों ने जबरदस्ती रेप किया। मौके पर किशोर अपचारी की मां पहुँची गयी। उन्होंने ही पुलिस को फोन किया था। **मौके पर पुलिस पहुँच गयी थी**। खेत में ही पुलिस ने उसे दीपू व किशोर पकड़ लिया। विवेचक द्वारा तैयार की गयी फर्द बरामदगी ए–8 पत्रावली में संलग्न है। जिसमें विवेचक द्वारा पीडिता एवं किशोर अपचारी सहित सह अभियुक्त को दिनांक–28–12–2025 को लक्ष्मणपुर बाजार–भिनगा मार्ग से बरामद करना दर्शित किया गया है। इस प्रकार पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन०एस०एस० एवं विवेचक द्वारा तैयार की गयी फर्द बरामदगी में भी गम्भीर विरोधाभाष इंगित होता है। विवेचक द्वारा चिकित्साधिकारी सी०डी०एच० भिनगा को पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर पीडिता ने स्वयं के हस्तलेख में यह अंकित किया गया है कि " **मैं पीडिता अपनी मर्जी से किशोर अपचारी के साथ रोड़ पर घूम रही थी। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। मैं अपनी डॉक्टरी नहीं करवाना चाहती हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है।**" इस प्रकार पीडिता द्वारा कोई घटना होने के तथ्य से इन्कार करते हुए अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से भी इन्कार किया गया है। **किशोर न्याय बोर्ड, श्रावस्ती द्वारा किशोर अपचारी की आयु 12 वर्ष 11 माह, 06 दिन निर्धारित की गयी है।** उक्त के अतिरिक्त सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है कि उसे जमानत पर छोड़े जाने से वह शारीरिक, नैतिक अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा। प्रस्तुत मामले के तथ्यों से यह भी दृष्टिगत है कि जमानत पर रिहा करने से न्याय का उद्देश्य विफल होने की भी सम्भावना नहीं है क्योंकि किशोर अपचारी के अभिभावक उसे विचारण हेतु नियत तिथि पर प्रस्तुत करने हेतु तैयार हैं। किशोर बाल संरक्षण गृह में निरूद्ध है। किशोर को उसके पिता अपनी अभिरक्षा में लेने को तैयार है तथा उसकी परवरिश सुचारू रूप से करना चाहते है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा वास्तव में जिला प्रोवेशन अधिकारी की आख्या का आशय

सम्भावनाओं पर आधारित होकर निकालना उचित नहीं है।

अतः अपीलीय न्यायालय के मत से किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधिअनुकूल नहीं है। बोर्ड द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुये किशोर को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है। तद्नुसार अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फौजदारी अपील स्वीकार की जाती है। किशोर न्याय बोर्ड श्रावस्ती द्वारा राज्य बनाम मिस्टर ए अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–601/2025, धारा–137(2),3(5),70(2) बी०एन०एस० व धारा–5(g)/6 पॉक्सो अधिनियम, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती में पारित आदेश दिनांक–20–02–2026 अपास्त किया जाता है। किशोर को उपरोक्त मामले में उसके पिता कलामुद्दीन द्वारा मु० एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डरटेंकिग कि किशोर के पिता किशोर के रिहा होने के पश्चात किशोर को अपनी अभिरक्षा में रखेगें, उसको आपराधिक संगत में नहीं जाने देंगें, किशोर का नैतिक, सामाजिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक अस्तित्व की संरक्षा करेंगे, बोर्ड का जब भी आदेश होगा किशोर को पेश करेगे, गवाहान पर पक्षद्रोही होने का दबाव नहीं देगें के प्रस्तुत करने पर बोर्ड की संतुष्टि पर किशोर को जमानत पर रिहा किया जाये। आदेश की एक प्रति के साथ मूल पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड श्रावस्ती को वापस भेजी जाये। अपील की पत्रावली दाखिल दफ्तार हो।

दिनांक 10–03–2026

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–10–03–2026

(निर्दोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती।